पत्र सख्या –आ0/बि0मा0आ0–06/2009................../

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 2016

विषय :– बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या– BHRC/Comp.19/2008 में पारित आदेश के आलोक में मसौढ़ी उप कारा में बन्दी सुरेश यादव, पे0–चलितर यादव, सा0–टिकाईचक, थाना–पिपरा, जिला–पटना की उनकी मृत्यु के फलस्वरूप उनके निकटत्तम परिजन/वैध उत्तराधिकारी को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के रूप में पूर्व में भुगतेय ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र के अतिरिक्त ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

3. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार मानवाधिकार आयोग के विषयांकित वाद में मृतक स्व0 सुरेश यादव के निकटत्तम परिजन/वैध उत्तराधिकारी को पूर्व में भुगतेय ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र के अतिरिक्त ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान/मुआवजा भुगतान करने हेतु उक्त राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2015–2016 में मुख्य शीर्ष 2235–समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम माँग संख्या–22, उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड N223560200011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निहित आदेश के अधीन निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पटना की होगी।

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे।

7. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।

8. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मृतक के निकटत्तम परिजन/वैध उत्तराधिकारी की समुचित पहचान कर उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान रेखांकित (क्रास) चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

9. ध्यातव्य हो कि यह स्वीकृत्यादेश पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1681 दिनांक–17.02.2012 द्वारा मृतक के निकटत्तम परिजन/वैध उत्तराधिकारी को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा भुगतान हेतु ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के अतिरिक्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– ..../ पटना, दिनांक ...., 2016

फैक्स
विशेष दूत

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, प्रमण्डल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– ..../ पटना, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा ''ए0'', गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– ..../ पटना, दिनांक ...., 2016

फैक्स
विशेष दूत

प्रतिलिपि :– सहायक निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना–15को उनके पत्रांक/वाद BHRC/Comp.19/2008 दिनांक–10.12.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– ....397............................./ पटना, दिनांक ....14-01......, 2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Jitendra 14.01.16

सरकार के विशेष सचिव।